# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघों द्वारा दिनांक 2.7.2003 को कुलपति को प्रेषित मांगों के संबंध में विचार करने हेतु एक बैठक का आयोजन दिनांक 3 जुलाई 2003 को प्रातः 9 बजे कुलपति कक्ष में किया गया। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे -

1. प्रोफेसर बी.पी.चन्द्रा, कुलपति
2. प्रोफेसर एम.एल.नायक, सदस्य कार्यपरिषद
3. प्रोफेसर एस.सर्राफ, सदस्य कार्यपरिषद
4. श्री ए.मिंज, कुलसचिव
5. श्री के.के.चन्द्राकर, उपकुलसचिव गोपनीय
6. डा बी.पी.साहू, उपकुलसचिव प्रशासन
7. श्री विक्टर एक्का, उपकुलसचिव अकादमिक
8. श्री डी.एन.देवांगन, सहायक कुलसचिव वित्त

विषय क्रमांक 1 वि.वि.कर्मियों को लंबित पदोन्नति प्रकरण का त्वरित निराकरण कर नियमानुसार पदोन्नति आदेश जारी किया जाय ।

निर्णय पदोन्नति प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । संबंधित कर्मचारीगण उच्च न्यायालय से प्रकरण वापस ले एवं सभी कर्मचारीगण विश्वविद्यालय प्रशासन को आम सहमति से पदोन्नति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिस पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी ।

विषय क्रमांक 2 वि.वि.कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया जाय ।

निर्णय पिछले कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय कि "व्यक्तिगत ऋण से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ समन्वय समिति में भेजा जाय' को "निलोपित करने हेतु आगामी कार्यपरिषद की बैठक में विचारार्थ रखा जावे ।

विषय क्रमांक 3 स्व.श्री एन.पी.पटेल एवं स्व.श्रीमती दुलारी बाई के पुत्र/पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाय ।

निर्णय राज्य सरकार से अनुकंपा नियुक्ति संबंधी नवीन आदेश प्राप्त होते ही शीघ्र कार्यवाई की जायेगी।

विषय क्रमांक 4 कर्मचारियों के अर्जित/भैषजिक अवकाश के स्थान पर स्वीकृत अवैतनिक अवकाश को वापस लेते हुए अर्जित अवकाश/भैषजिक अवकाश स्वीकृत किया जाय ।

निर्णय श्री डेम्बानी एवं श्री गहले को स्वीकृत अवैतनिक अवकाश को अर्जित अवकाश में स्वीकृत करने हेतु पुनर्विचार किया जावेगा ।

विषय क्रमांक 5 कर्मचारियों के पारिश्रमिक वृद्धि का आदेश शीघ्र जारी किया जाय ।
निर्णय इस संबंध में परीक्षण करने हेतु समिति गठित की गई है । कार्यवाही की जा रही है।

विषय क्रमांक 6 मो.अकील एवं गयाराम देवांगन के क्रमशः पुत्री/पत्नी की चिकित्सा व्यय का प्रतिपूर्ति किया जाय ।
निर्णय चिकित्सा संबंधी देयक प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

विषय क्रमांक 7 90 प्रतिशत पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को त्वरित किया जाय ।
निर्णय लागू कर दी गई है ।

विषय क्रमांक 8 पात्र कर्मचारियों को क्रमोन्नति प्रदान करने तत्काल बैठक आहूत की जाय ।
निर्णय क्रमोन्नति समिति गठित की गई है । कार्यवाही की जा रही है ।

विषय क्रमांक 9 डा साहू उपकुलसचिव प्रशासन का अन्यत्र विभाग में तत्काल स्थानान्तरण किया जाय।
निर्णय संभव नहीं है ।

विषय क्रमांक10 आपराधिक प्रकरणों में लिप्त शिक्षकों की तरह न्यायालयीन प्रकरण चल रहे कर्मियों को भी स्थायीकरण/शेष वेतन/वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति प्रदान की जाय ।
निर्णय संबंधित कर्मचारियों ने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है । अतः यह प्रकरण शिक्षकों के प्रकरण से सर्वथा भिन्न है । प्रकरण को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा ।

विषय क्रमांक11 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित किया जाय।
निर्णय इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है । शासन को पुनःस्मरण कराने हेतु पत्र लिखा जावेगा।

विषय क्रमांक12 प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को वापस भेजा जाय तथा यह प्रथा समाप्त की जाय।
निर्णय यह शासन से संबंधित है ।

आमसभा में कर्मियों द्वारा कुलपति से किये गये चर्चानुसार दिनांक 3.7.2003 को आयोजित बैठक में उपरोक्त सदस्यों के साथ संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा उपरोक्तानुसार निर्णय लिया गया ।

विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों से अपील की जाती है कि छात्रों एवं विश्वविद्यालय हित में दिनांक 3.7.2003 को आयोजित कलम बंद हड़ताल को वापस लें ।

कुलसचिव 3/7/03 कुलपति 3-7

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ0ग0

// सूचना //

क्रमांक 1011 / अका / का0प0 / 2003,                                   रायपुर, दिनांक 07 जुलाई 2003.

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की आपातिक बैठक गुरूवार, दिनांक 10 जुलाई, 2003 को अपराह्न 04 बजे [ चार बजे ] विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में आहूत की गई है।

सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है।

विषयसूची – वि0वि0 कर्मचारियों की मांगों के संबंध में विचार करना।
[ मांग पत्र संलग्न परि0 " क " ]

आदेशानुसार,
[signature] 7.7.03
[ ए0 मिश्र ]
कुलसचिव

पृ0क्र0 1012 / अका / का0प0 / 2003,                                   रायपुर, दिनांक 07 जुलाई, 2003.

प्रतिलिपि–

1/ राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर छ0ग0
2/ 2 डॉ0 युगल भारती, अतिरिक्त संचालक–उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ0ग0 प्रतिनिधि सचिव छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा विभाग)
3/ सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी0के0एस0 भवन, रायपुर, छ0ग0
4/ डॉ0 एस0एल0 नायक, आचार्य–बायो–साईन्स अ0शा0, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ0ग0
5/ डॉ0 आर0पी0 वर्मा, आचार्य– क्षेत्रीय अ0शा0, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ0ग0
6/ प्रोफेसर आर0सी0 मेहरोत्रा, डगनिया, रायपुर छ0ग0
7/ श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, आर्जुन्दा, छ0ग0
8/ पं0 रामसुन्दरदास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर, छ0ग0
9/ डॉ0 [ श्रीमती ] गीता तिवारी, आचार्य, शासकीय दू0ब0 महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, छ0ग0
10/ डॉ0 [ श्रीमती ] माया अरोरा, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, दुर्ग, छ0ग0
11/ श्री रामलाल भारद्वाज, विधायक– [ पल्लारी क्षेत्र ], बी–4, अशोका अपार्टमेंट, रायपुर छ0ग0
12/ श्री ललित सुरजन, प्रधानसम्पादक–देशबन्धु, रायपुर छ0ग0
13/ डॉ0 डी0के0 कटारिया, शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रायपुर छ0ग0
14/ डॉ0 [ श्रीमती ] स्नेहलता मित्तल, पंडित जे0एन0एन0 चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर छ0ग0
15/ डॉ0 शैलेन्द्र सराफ, आचार्य एवं संकायाध्यक्ष–फार्मेसी अध्ययनशाला, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ0ग0
16/ श्री अमीर चन्द जैन, आचार्य, एवं संकायाध्यक्ष–वाणिज्य संकाय, शासकीय कं0डी0 महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव, छ0ग0
17/ कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ0ग0
18/ वित्त अधिकारी / आवासीय अंकेक्षण, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ0ग0

[signature] 7-7-03
कुलसचिव

(2) सचिव उच्च शिक्षा या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य।
(3) सचिव वित्त विभाग या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य।